न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 169/2025 अपील (GCMS 2025/172)
पंजीयन दिनांक- 01/10/2025
निर्णय दिनांक- 09/02/2026

1. श्री नानुराम उर्फ नानालाल पिता कजोड़ अहीर, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

-अपीलांट्स

बनाम

1. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री युगल किशौर दशोरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज. अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध, जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक प. 12/3 (क) (24)
राजस्व/2025/622-27 दिनांक 20.03.2025

निर्णय

दिनांक 09/02/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक प. 12/3 (क) (24) राजस्व/2025/622-27 दिनांक 20.03.2025 के विरूद्ध दिनांक 24.01.2025 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद की आराजी संख्या 1112 रकबा 2.3067 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि में से प्रस्तावित 0.3238 हैक्टेयर भूमि

का राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः- एफ. 14 (1) रेव. 6/2005/7 दिनांक 26.04.2011 में वर्णित प्रावधानों के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा के भवन एवं खेल मैदान प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क भू-आवंटन किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री युगल किशौर दशोरा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 04.02.2026 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का दौहराते हुए बताया कि अपीलांट के पिता का देहांत दिनांक 04.05.2021 को हो गया है, अपीलांट उनके कब्जेशुदा पूर्ण भू-भाग पर आदिनांक तक काबिज चला आ रहा है, उसे किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा बेदखल नहीं किया गया है, उसके बावजूद बिना उसे सूचना दिये रेस्पोडेंट के पक्ष में विधि विरूद्ध आवंटन किया गया है। अपीलांट व उसके पिता द्वारा लाखों रूपये खर्च कर भूमि को आबाद किया गया है तथा इस पर कुंआ खोद पक्का निर्मित किया, जिसमें पर्याप्त पानी है। तहसीलदार, रेलमगरा के आदेशों के विरूद्ध अपीलांट के पिता द्वारा अति. जिला कलक्टर, राजसमंद के न्यायालय में प्रस्तुत अपीलों पर प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित कर साक्ष्य, सबुत की विस्तृत जांच एवं अपीलांट का प्रकरण जब भी नियमन कमेटी की बैठक/ऐलोटमेंट केम्प आयोजित हो तब भिजवाई जाने तथा अपीलांट को भी नियमन कमेटी/ऐलोटमेंट

कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र संपूर्ण रेकार्ड के साथ पेश करनें के निर्देशों का निर्णय पारित किया गया। अपीलांट के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय को भी नियमन कमेटी की बैठक बुलाने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, परंतु कमेटी की बैठक आदिनांक तक नहीं हुई है। उक्त सभी तथ्यों के होते हुए भी अपीलांट की कब्जेशुदा भू-भाग में से कुछ भू-भाग रेस्पोडेंट के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन कर देना उचित नहीं है। जब तक कब्जेधारी को भौतिक रूप से बेदखल नहीं कर दिया जाता है, तब तक उस भू-भाग का आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा दिनांक 20.03.2025 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अब हम सर्वप्रथम इस अपील के एक महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर विचार करना उचित समझते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार अथवा उनके वारीसान या उनके हस्तांतरियों को ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत न्यायालय से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधान व अनेकानेक

न्यायिक दृष्टांत उपलब्ध है। इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायालय में दफा 96 जाप्ता दीवानी का कोई आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं चाही है, न ही ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 44 में निम्न सारांश प्रतिपादित किया है:-

"SECTION 96 The fact that a party is an aggrieved person does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute in the lower court He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so An appeal filed without obtaining permission from the court of appeal is incompetent and cannot be maintained"

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 232 (DB) में निम्न सारांश प्रतिपादित किया है:-

"CODE OF CIVIL PROCEDURE & SECTION 96-A PERSON WHO IS NOT A PARTY TO AN ORDER OR DECREE CANNOT PREFER AN APPEAL AGAINST SUCH ORDER OR DECREE WITHOUT THE LEAVE OF THE COURTAN APPEAL FILED WITHOUT LEAVE OF THE IS INCOMPETENT"

उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में क्या अपीलांट इस अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति है अथवा नहीं, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और परिक्षणोपरांत जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी को राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः- एफ. 14 (1) रेव. 6/2005/7 दिनांक 26.04.2011 में वर्णित प्रावधानों के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा के भवन एवं खेल मैदान प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क भू-आवंटन के आदेश दिनांक 20.03.2025 को पारित किये, जिसमे अपीलांट पक्षकार नहीं था। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में तृतीय पक्ष को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। तृतीय पक्ष व्यथित नहीं हो सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट व्यथित/हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पक्ष/विरूद्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादित भूमि का वह खातेदार काश्तकार रहा हो। इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः- एफ. 14 (1) रेव. 6/2005/7 दिनांक 26.04.2011 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही को चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है। यहां हम विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक निर्णय/न्यायिक दृष्टांतो में प्रकट अभिमत का प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में भी परिक्षण किया जाना उचित समझते हैः-

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 7728-2012 दिनांक 08.11.2022 में माना है किः-

Administratio of Justice – Locus standi – Aggrieved party – Only a person who has suffered, or suffers from legal injury can challenge the act/ation/order etc. in a court of law – A stranger cannot be permitted to meddle in any proceedings.

वर्णित न्यायिक दृष्टांतों अनुसार भू-स्वामी ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, उक्त न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण से सुंसगत होकर चस्पा होते है, क्योंकि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है और न ही व्यथित व्यक्ति है, ऐसे में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में भी अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है।

इसके अतिरिक्त न्यायहित में यह न्यायालय वर्णन करना उचित समझता है कि तहसीलदार, रेलमगरा के पत्रांक 92 दिनांक 10.01.2025 में यह अंकन किया गया है कि प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, न ही अपीलांट ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया है जो यह प्रकट करता है कि वह आवंटित भूमि का कभी खातेदार काश्तकार रहा हो। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अपील करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है तथा इस प्रकरण में

अपीलांट द्वारा न्यायालय में दफा 96 जाप्ता दीवानी का कोई आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं चाही है, न ही ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि यह मान भी लिया जावें कि अपीलांट उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज था फिर भी कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। न्यायिक दृष्टांत 1987 आर.आर.डी. पेज 54 (एल.बी.) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Land in possession of trespasser over govt. land is unoccupied land Govt. land available for allotment under Rules. राजस्व मण्डल ने आर.आर.डी. 1992 पेज 127, आर.आर.डी. 1994 पेज 381 एवं मण्डल द्वारा पारित अन्य निर्णयों में अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि माना है। अतिक्रमी का ऐसी भूमि पर विशेष हित उसी दशा में समझा जावेगा जबकि उसने ऐसी भूमि को अपने पक्ष में नियमन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, जो इस प्रकरण में नहीं पाया गया है। यदि अतिक्रमी द्वारा नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अतिक्रमी को आवंटन/आरक्षण को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट को अपील करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। उपरोक्त स्थिति होने उपरान्त भी यह न्यायालय गुणावगुण पर यह पाता है कि इस प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः- एफ. 14 (1) रेव. 6/2005/7 दिनांक 26.04.2011 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करते हुए जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2025 पारित किया गया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है, ऐसे में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर विवेचन किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है, यद्यपि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में वर्णित कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है और जिला कलक्टर, राजसमंद का आदेश क्रमांक प. 12/3 (क) (24) राजस्व/2025/622-27 दिनांक 20.03.2025 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर